

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

माननीय न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट (जिला स्तर) नवा रायपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन हेतु ₹ 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 2 से 3

एकीकृत सेवा योजना अंतर्गत बच्चों के वृद्धि निगरानी उपकरण क्रय हेतु ₹585.20 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,85,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4 से 5

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत आधार पंजीयन व अपडेशन हेतु ₹376.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,76,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 6

प्रधानमंत्री फसल बीमा हेतु ₹6000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 7

अन्त्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदाय हेतु ₹10728.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹1,07,28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 8

सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत शक्कर प्रदाय हेतु ₹7600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 76,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 9

राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु ₹ 6733.98 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 67,33,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

मद क्रमांक 10

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के उद्योगों को ब्याज अनुदान मेद में राशि ₹ 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 11

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों के लागत पूंजी अनुदान मेद में राशि ₹ 1500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 12

प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य योजना) हेतु ₹ 1330.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 13

संचार क्रांति योजना हेतु ₹ 3800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।